भोलाराम वगै० बनाम सोनीदेवी वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० नं० – 816/2017	नम्बर आह हुक्म
18.05.2018 सम्बन्धित खसरा नं 373 तन ग्राम सुराणी में बने ट्यूबवैल में सोनीदेवी प. बंशीधर के नाम से A.C. 1802-41 दिनांक 10-5-2009 को कनेक्शन जारी हो चुका Assistant Engineer (O&M) A.V.V.N.L. THOI 18/05/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–कल्याणपुरा के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से सहायक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड थोई उपस्थित। सहायक अभियन्ता थोई ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 373 तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर में बने ट्यूबवैल में सोनी देवी पत्नि बंशीधर के नाम से ए.सी. 1802–41 दिनांक 10.05.2009 को कनेक्शन जारी हो चूका है बाबत टिप्पणी अंकित की गई। वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 2.63 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादिया नम्बर 1 एंव रूघला पुत्र रामदेव के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रूघला पुत्र रामदेव ने दिनांक 20.8.1998 को रजिस्टर्ड विक्रय लेख अपने सम्पूर्ण हिस्से को वादीगण को व्रिय कर दिया। जिसकी खातेदारी दर्ज होना बाकी है। वादीगण उक्त भूमि पर हिस्से अनुसार व खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि में शामलाती ट्यूबवैल बना हुआ है। जिसमें शामलाती रूप से विधुत कनेक्शन लेने हेतु वादीगण के हस्ताक्षर करवाकर प्रतिवादीया नम्बर 1 के पति द्वारा विधुत विभाग में पत्रावली पेश की गई है जो विचाराधीन है। प्रतिवादीया न. 1 व उसके परिवारजन वादीगण के हिस्से की भूमि को येन केन प्रकारेण हड़पने व मजबूर कर खरीदने की कुचेष्टा में होने के कारण खातेदारी दर्ज नहीं होने दे रहे है। न्यायालय में उनवानी प्रकरण सोनी बनाम् रूघा की आड़ में खातेदारी दर्ज होने से रूकवा रखी है। वादीगण व प्रतिवादी न. 1 ने शामलाती चाह में विधुत कनेक्शन हेतु जमा पत्रावली में डिमाण्ड नोटिस प्रतिवादिया न. 1 के नाम से आने पर प्रतिवादी न. 1 की बेईमानी सामने आई। प्रतिवादी न. 1 की उक्त गलत अवैध OM	

Scanned by CamScanner

भोलाराम वगै० बनाम सोनीदेवी वगै०
मु० नं० – 816/2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी होने से वादपत्र पेश किया गया है। प्रतिवादी न. 1 के द्वारा वादीगण को धमकी देने पर वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में जिस विधुत कनेक्शन को रूकवाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वह विधुत कनेक्शन सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड थोई के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 373 तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर में बने ट्यूबवैल में सोनी देवी पत्नि बंशीधर के नाम से ए.सी. 1802–41 दिनांक 10.05.2009 को कनेक्शन जारी हो चूका है बाबत टिप्पणी अंकित कर अवगत कराया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना प्रकट होता है एंव ना ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर वादपत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– कल्याणपुरा के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–कल्याणपुरा

Scanned by CamScanner